

## न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी- उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 07 / 2024

महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनफूल राम, जाति जाट निवासी कुलचंद्र, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

अपीलांत

बनाम

1. नायब तहसीलदार राजस्व, टिब्बी

मूल रैस्पोंडेंट

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशासी अभियंता खण्ड हनुमानगढ़

तरतीबी पक्षकार

अपील अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 5.2.2024 प्रोसं0  
16/2023 राजस्थान उपनिवेशन की धारा 22 नायब  
तहसीलदार टिब्बी।

उपस्थित:- 1. श्री अनिल कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलांत।  
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

-:निर्णय:-



दिनांक: -31.05.2024

यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हलका कुलचंद्र द्वारा दिनांक 11.12.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि चक 7 सीडीआर में प. नं. 224/247 (48) कि नं. 11/0.017 है., 20/0.025 गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है जिस पर गेहूं फसल द्वारा अतिक्रमी महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनफूल राम, जाति जाट, निवासी कुलचंद्र, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। मौका पर गै. मु. रास्ता भूमि पर कब्जा कर रखा है। कुल 0.042 है. भूमि गै. मु. रास्ता आराजी राज पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को उपधारा 3 के तहत नोटिस जारी कर रकबे के संबंध में सबूत प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। तथ्यों के आधार पर धारा 22 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 खण्ड 1 के तहत अप्रार्थी महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनफूल राम, जाति जाट निवासी कुलचंद्र, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ को अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू. अ. निरीक्षक सूरेवाला को अतिक्रमित गै. मु. रास्ता भूमि पर काश्त फसल को बहक सरकार कुर्क किये जाने का आदेश दिया गया जिनको अपीलांत निम्न आधारों पर चुनौती देता है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र प्रक्रम पर व प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र के निस्तारण प्रक्रम पर थी जिसको अनदेखा कर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांत दिनांक 06.12.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब प्रस्तुत करने हेतु मुताबिक दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान 90 दिवस का समय दिया जाना निर्धारित है किन्तु विधि को ध्यान न रखते हुए व विधिक प्रावधानों की उल्लंघना कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो कि अपीलांत को जवाब का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध होने से काबिले निरस्ती के है। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित रकबा जो कि कुलचंद्र से नाईवाला सड़क के संबंध में है। सड़क जो कि आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चक 7 सीडीआर एवं 8 सीडीआर अपीलांत के रकबा में गै. मु. रास्ता के स्थान पर निकाली गई थी जो कि सड़क के रूप से चली आ रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी उक्त सड़क को अपीलांत के रकबा में गै. मु. रास्ता के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की होना स्वीकार किया है किन्तु ग्राम के किसी व्यक्ति द्वारा एक मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजस्व टिब्बी के समक्ष प्रस्तुत किया कि उक्त सड़क अपने सही स्थान पर निर्मित नहीं है

जिस पर तहसीलदार द्वारा एक मौका रिपोर्ट पैमाइश हेतु अपीलांट की गैर मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की. जिससे संतुष्ट नहीं होकर ग्रामीणों ने श्रीमान जिला कलेक्टर भू अभिलेखागार हनुमानगढ़ के समक्ष पैमाइश को खारिज करने हेतु प्रस्तुत किया जो कि विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल बगैर किसी पत्थर नंबर के पैमाइश दिनांक 16.6.2023 को आधार मान कर अपीलांट को वर्ष 2024 रबी फसल का अतिक्रम मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध काबिले खारिज के है।



अपीलांट का रकबा चक 7 सीडीआर में आमने-सामने रोड के दोनों तरफ है अपीलांट के रकबा में से उत्तर से दक्षिण सड़क कुलचंद्र - नाईवाला चालू है अपीलांट के 0.061 है. भूमि में से होकर गुजरती है यानी अपीलांट की सड़क के दो छोर में भूमि है। सड़क पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 237 दिनांक 21.4.2023 में भी यह माना है कि अपीलांट अतिक्रमि नहीं है व सड़क 0.061 है. गै. मु. रकबा में स्वीकृत की गई है किन्तु इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा व विरोधाभासी विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विवरीत होने के कारण काबिले खारिज के है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी ने मौका निरीक्षण कर पत्रांक 237 दिनांक 21.4.2023 कुलचंद्र से नाईवाला संपर्क सड़क चक 7 सीडीआर के खाता संख्या 01 खसरा नंबर 59 / 2 में 0.494 हैक्टेयर प नं. 224 / 245 (26) कि नं. 10, 20, 21, प नं. 224 / 246 (43) व प नं. 224 / 247 (48) प्रत्येक के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 3-3 बिस्वा तथा चक 8 सीडीआर खाता सं. 01, खसरा संख्या 51 में 0.759 हैक्टेयर, प नं. 224 / 251 (42) कि नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 0.759 हैक्टेयर, प नं. 224 / 248 (3), प नं. 224 / 249 (16) 224 / 250 ( 32 ), प नं. 224 / 251 (42), कि नं. 1, 10, 11, 20, 21 में प्रत्येक 3-3 बिस्वा चक 10 सीडीआर (ए) खसरा नंबर 66 / 1 में 0.570 है. प नं. 224 / 552 ( 8 ) प नं. 224 / 253 ( 31 ) प नं. 224 & 254 (42) प्रत्येक कि नं. 1, 10, 11, 20, 21 में प्रत्येक 3-3 बिस्वा, गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड की जगह अधिशासी अभियंता सा. नि.वि. खण्ड हनुमानगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक अधि 237 दिनांक 21.4.2023 अनुसार कुलचंद्र से नाईवाला सड़क का निर्माण पूर्व में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध राजस्व रास्ते पर करवाया गया था। कार्यालय जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पत्रांक 2028 दिनांक 25.5.2023 द्वारा उपरोक्त कुलचंद्र से नाईवाला रोड में राजस्व रास्ते की जगह चल रही है, को अधिशासी अभियंता प्रभारी पीडब्ल्यूडी विभाग हनुमानगढ़ को जारी कर प्रकरण को सब ज्यूडिस मानते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया है जिसके संबंध में पत्रांक 1029 तहसीलदार राजस्व को भी प्रेषित कर कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना कर विधि विरुद्ध क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड पर गैर कानूनी तरीके से बगैर पैमाइश किए बगैर पैमाइश की रिपोर्ट अपीलांट को उलब्ध करवाए व समुचित जवाब का अवसर दिये बगैर मनमर्जी से अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता को गैर मौजूदगी में गुपचुप तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। कार्यालय अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक अधि 237 दिनांक 21.4.2023 कुलचंद्र से नाईवाला सड़क का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा राजस्व रास्ते की गह करवाया गया। आगामी संधारण हेतु सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित किया गया था। सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी उपखण्ड टिब्बी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर निमित डामर सड़क पर कोई अतिक्रमण चिह्नित नहीं है। चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा संधरित उक्त सड़क एवं राजस्व रास्ते पर से होकर गुजरती है। इन सभी तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मनमर्जी से विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही को अपीलांट द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर (भू. अ.) के समक्ष चुनौती दे रखी है जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय का पाबंद किया हुआ है कि उक्त पैमाइश प्रकरण के निस्तारण से पूर्व कोई

30  
अपर जिला कलेक्टर  
हनुमानगढ़

कार्यवाही पैमाइश के आधार पर अमल में नहीं लाई जावे किन्तु इन तथ्यों के बावजूद भी एकतरफा व उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो कि काबले खारिज है। अतः अपील अपीलांत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.2.2024 प्र सं. 16/2023 नायब तहसीलदार टिब्बी के निर्णय को खारिज फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी की गयी। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलांत का रकबा चक 7 सीडीआर में आमने-सामने रोड के दोनों तरफ है। अपीलांत के रकबा में से उत्तर से दक्षिण सड़क कुलचंद्र - नाईवाला चालू है जो कि अपीलांत के 0.061 है। भूमि में से होकर गुजरती है यानी अपीलांत की सड़क के दोनों छोर में भूमि है। कार्यालय जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पत्रांक प16 (5) विधि/23/2028 दिनांक 25.5.2023 द्वारा उपरोक्त कुलचंद्र से नाईवाला रोड में राजस्व रास्ते की जगह चल रही है, को अधिशासी अभियंता प्रभारी पीडब्ल्यूडी विभाग हनुमानगढ़ को जारी कर प्रकरण को सब ज्यूडिस मानते हुए मौके की यथार्थिथि बनाये रखने का आदेश जारी किया गया है। श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय का पाबंद किया हुआ है कि उक्त पैमाइश प्रकरण के निस्तारण से पूर्व कोई कार्यवाही पैमाइश के आधार पर अमल में नहीं लाई जावे किन्तु इन तथ्यों के बावजूद भी एकतरफा व उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है अपील अपीलांत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.2.2024 प्र सं. 16/2023 नायब तहसीलदार टिब्बी के निर्णय को खारिज फरमाया जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील /एलआर/3226/2017/हनुमानगढ़ की प्रति पेश की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि नायब तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्र सं. 16/2023 में पारित निर्णय दिनांक 5.2.2024 विधि अनुसार है, इसलिए अपील अपीलांत खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन में पाया कि-

1. तहसीलदार टिब्बी ने उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को प्रेषित पत्र क्रमांक 9144 दिनांक 26.10.23 में यह माना है कि प्रश्नगत सड़क नाईवाला से कुलचंद्र राजस्व रास्ते पर निर्मित है। उक्त सड़क को आगामी संधारण हेतु पीडब्ल्यूडी को हस्तान्तरित किया गया। उक्त सड़क 30 वर्ष पूर्व निर्माण कृषि उपज मंडी द्वारा किया गया जो पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित है। जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है।
2. नायब तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ने अपने निर्णय दिनांक 05.02.2024 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांत द्वारा राजस्व रास्ते पर किस-किस किला नं0 पर, किस प्रकार से, कितना अतिक्रमण किया है?, जबकि स्वीकृत रास्ता के अनुसार सड़क वर्तमान में चालू है जो कि स्वीकृत रास्ते में ही निर्मित है।

उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रकरण सं0 16/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2024 विधि अनुसार नहीं होने के कारण अपास्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण में विधि अनुसार 30 दिवस में पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



20/1  
5/5/2024  
(उम्मेदी) लाल मीना  
अपर जिला कलेक्टर  
अपर जिला कलेक्टर  
हनुमानगढ़